

प्रेषक

जिला वैश्व शिक्षा अधिकारी
गाजियाबाद।

प्रेष्य

प्रमुख,
सेंट एंड्रयूज पब्लिक स्कूल
पाइपलाइनरोड मथुरापुर गाजियाबाद।

पत्रांक/मान्यता-शिक्षा/10588-8/2018-19

दिनांक

1-11/10/18

विषय :- निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

प्रिय महोदय/महोदया,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 30.08.2018 के और इस सम्बन्धी में विद्यालय के माध्यम से प्राप्त/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से सेंट एंड्रयूज पब्लिक स्कूल पाइपलाइनरोड मथुरापुर गाजियाबाद को कक्षा-नर्सरी से कक्षा-8 तक हेतु दिनांक 01.04.2019 से हीन वर्ग की अवधि के लिए मान्यता समिति की बैठक दिनांक 05.10.2018 की कार्यवाही में व्यक्त सहमति अनुमोदन के आधार पर औपबधिक मान्यता का प्रदान किया जाना सम्पन्न किया गया है-

- मान्यता के लिये स्वीकृति विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के बाद मान्यता/सम्मानित प्रदान करने के दायित्व को विवक्षित नहीं करता है।
- विद्यालय निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 और निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के उपबन्धों का पालन करेगा।
- विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) कक्षा की सदस्य संख्या के 25 प्रतिशत तक कम-प्रमाण के कमजोर वर्गों और साधनहीन समूह के बालकों को प्रवेश देगा और इनकी शिक्षा पूर्ण होने तक निशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक/उच्च प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करेगा।
- प्रस्तर-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित विद्यालय होगा। ऐसी प्रतिपूरितता प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- सोसाइटी/विद्यालय किसी कंपेंडेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या गारक्षक को किसी स्कीमिंग प्रक्रिया के अध्यापीन नहीं करेगा।
- विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का समूह न होने के कारण, धर्म, जाति, अथवा नस्ल, जन्म स्थान अथवा उनमें से किसी आधार पर प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा।
- विद्यालय निम्नलिखित बातों का सुनिश्चित करेगा-
(एक) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फल नहीं दिया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।
(दो) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यापीन नहीं किया जाएगा।
(तीन) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
(चार) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 23 के अधीन अधिवर्षित किए गए अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।
(पाँच) अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निशक्तता प्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
(छ) अध्यापकों की गती अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन यथा अधिकारित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएँ नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएँ अर्जित करेंगे।
(सात) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन निर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

St. Andrews Public School,
K. No.-127, Mathurapur,
Ghaziabad

Manager
St. Andrews Public School
K. No.-127, Mathurapur
Ghaziabad

9. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रमों के अनुसार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
9. विद्यालय छात्रों का नामांकन विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपात में करेगा और कि अभिनियम की धारा 19 में विनिर्दिष्ट किया गया है। विद्यालय के मानकों और सविनय का बनाए रखेगा। अंतिम निर्धारण के समय विद्यालय का नई प्रसुविधाएँ निम्नानुसार है-
विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल-6570 वर्गमी कुल निर्मित क्षेत्र-4570 वर्गमी की डा-स्थल का क्षेत्रफल-शेय
वस्त्राओं की संख्या-13 प्राधान्यापक कक्षा-01 सह-कार्यालय-02 सह-भंडागार के लिए कक्षा-01
बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय- है पेयजल सुविधा- उपलब्ध है।
भिड-डे मील पकाने के लिए रसोई- X बाधा रहित पहुंच है
अभ्यापन पठन सामग्री/कीड़ा खेलकूद उपकरणों/पुरतकालय की उपलब्धता
10. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।
11. विद्यालय भवनो या अन्य संरचनाओं या कीड़ा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
12. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्याय द्वारा चलाया जा रहा है।
13. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
14. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड, अकाउंटेंट द्वारा शंपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
15. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्याकं नरंरी-VIII-62/2019-20 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्याकं का उल्लेख करें।
16. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशकों का पालन करता है, जो मान्यता संबंधी शर्तों के तहत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्याकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।
17. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
18. छात्र/छात्राओं के बैठने हेतु प्रति छात्र 9 वर्ग फीट का स्थान सुरक्षित करते हुए कक्षों की माप के हिसाब से छात्र संख्या निर्धारित की जाए।
19. विद्यालय प्रयन्धन/न्यास और कर्मचारी वर्ग समय समय पर जारी किये गये राज्य सरकार के निर्देशों का अनुपालन करेगा।
20. संलग्न अनुसलम्नक तीन के अनुसार अन्य शर्तें।

मान्यता प्राप्त करने में यदि किसी तथ्य का गोपन किया गया होगा अथवा दिये गये पत्राचारों में कोई पत्र फर्जी या कूटस्थित पाया जाता है तो यह मान्यता पत्र निरस्त कर दिया जायेगा तथा उचित कार्यवाही की जाएगी जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

भवदीय /

(राजेश कुमार चौधरी)
जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी
गाजियाबाद।

पृ0सं0/मान्यता/

/2018-19

सददिनांक-

प्रतिलिपि-निम्नांकित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है--

1. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक वैसिक प्रथम मण्डल गैरठ।
2. खण्ड शिक्षा अधिकारी, रजापुर गाजियाबाद।
3. कार्यालय प्रति।

जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी
गाजियाबाद।

Manager
St. Andrews Public School
K. No.-127, Mathurapur
Ghaziabad

प्रेषक,

ओम्पी0द्विवेदी,
सदस्य सचिव (मण्डलीय समिति) एवं
संयुक्त शिक्षा निदेशक, मेरठ मण्डल मेरठ।

सेवा में,

सचिव
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद
शिक्षा केन्द्र-2, समुदाय केन्द्र
प्रीत विहार, नई दिल्ली।

माध्यमिक शिक्षा (NOC) अनुभाग

मेरठ दिनांक : 27-08-2020

विषय :- सेंट एन्ड्रयूज पब्लिक स्कूल पाईप लाईन रोड, मथुरा पुर, गाजियाबाद को सी0बी0एस0ई0,
नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1916 / 15-7-9(299) / 2007 दिनांक 14-7-2009 द्वारा
गठित मण्डलीय समिति की बैठक दिनांक 27-8-2020 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में
उक्त सन्दर्भित विधालय को सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु निम्नांकित प्रतिबन्धों
के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (1) विधालय की पंजीकृत सोसायटी / ट्रस्ट का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- (2) संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के
कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं
दिये जायेंगे।
- (3) कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक,
विधालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
- (4) विधालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसमचित जाति / जनजाति के मध्यावी बच्चों के
लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद / बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा
संचालित विधालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया
जायेगा।
- (5) फीस उन्ही मदों में चार्ज किये जाये जो राज्य सरकार द्वारा अनुमन्य हो। फीस की दर इतनी
होनी चाहिए जो समान्तयः उस क्षेत्र में पूर्व से स्थित ऐसे अन्य विधालयों में चार्ज किया जा रहा
है। काशनमनी / भवन शुल्क इत्यादि एस मदों पर शुल्क न चार्ज किया जाय।
- (6) राज्य सरकार / मण्डलीय समिति / शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत
किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।
- (7) उक्त शर्तों में राज्य सरकार / मण्डलीय समिति / शिक्षा विभाग के पूर्वानुमोदन के बिना कोई
परिवर्तन / संशोधन / परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।
- (8) विधालय का रिकॉर्ड निर्धारित प्रपत्र पत्रिकाओं में रखा जायेगा।
- (9) विधालय की प्रवृत्ति में शिक्षा निदेशक / माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा नामित एक सदस्य
होगा।

- (10) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और ये माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विधालय की सम्बद्धता सैन्ट्रल सैक्रेण्ट्री, एजुकेशन, नई दिल्ली / कौंसिल फॉर दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट एक्ज नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उक्त परीक्षा से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्व. हो जायेगे।
- (11) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाये।
- (12) संस्था का वार्षिक आय-व्यय का सी0ए0 द्वारा प्रमाणित वार्षिक लेखा-जोखा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर तक इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय।
- (13) यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है, जो राज्य सरकार / मण्डलीय समिति द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापिस ले लिया जायेगा।

भावदीय

(ओ0पी0द्विवेदी)

संयुक्त शिक्षा निदेशक एवं सदस्य सचिव
मेरठ मण्डल, मेरठ

पृष्ठांकन संख्या-2130 / मं0स0 (233) / 2020 तद दिनांक।

- प्रतिलिपि निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
- (1) आयुक्त मेरठ मण्डल, मेरठ।
 - (2) जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
 - (3) संयुक्त सचिव (शिक्षा-7 अनुभाग) उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
 - (4) शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
 - (5) जिला विधालय निरीक्षक गाजियाबाद।
 - (6) प्रबन्धक सेंट एन्ड्रयूज पब्लिक स्कूल पाईप लाईन रोड, मथुरा पुर, गाजियाबाद।

(ओ0पी0द्विवेदी)

संयुक्त शिक्षा निदेशक एवं सदस्य सचिव
मेरठ मण्डल, मेरठ